न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 03/17 सन् 2017

आरसीएनएस संख्या 2017/00106

बउनवानी:—

1. रामस्वरूप दत्तक पुत्र मोरपाल माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 सवाईमाधोपुर
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र काना माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. सीताराम पुत्र काना माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. शंकरी बेवा काना माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
5. परसादी पुत्री काना माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रमेश चन्द पुत्र अम्बालाल माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. जानकी पत्नि रामप्रसाद पुत्री अम्बालाल माली निवासी श्यामपुरा तह0मलारना डूँगर
3. संतरा पत्नि प्रभूलाल पुत्री अम्बालाल माली निवासी व तह0 मलारना डूँगर
4. गणेश पुत्र गंगासहाय माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
5. पाना पत्नि गंगासहाय माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
6. रामजीलाल पुत्र मिश्रीलाल माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
7. बाबू पुत्र मिश्रीलाल माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
8. खुशी पत्नि नामालुम पुत्री मिश्रीलाल माली निवासी खण्डार तह0 खण्डार
9. मुन्नी पत्नि पप्पू पुत्री मिश्रीलाल माली निवासी खण्डार तह0 खण्डार
10. मंजू पुत्री अम्बालाल जाति सैनी निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
11. हंसराज पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी रामसिंहपुरा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
12. बिमला पत्नि पप्पूलाल पुत्री प्रहलाद माली निवासी जटवाडा खुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
13. गायत्री पत्नि मुकेश पुत्री प्रहलाद माली नि0 अल्लापुर तहसील खण्डार
14. कल्याण पुत्र रामपाल माली निवासी रामसिंहपुरा तह0व जिला सवाईमाधोपुर
15. हरिराम पुत्र रामपाल माली निवासी रामसिंहपुरा तह0व जिला सवाईमाधोपुर
16. कल्लू पुत्र रामपाल माली निवासी रामसिंहपुरा तह0व जिला सवाईमाधोपुर
17. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 232 निर्णय दिनांक 11.7.2016 वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:— 1. श्री कमलेश कुमार जैन — वकील अपीलान्ट
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 13.2.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 232 निर्णय दिनांक 11.7.2016 वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील वेधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

कार्य

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा एक वादपत्र उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के यहॉ पर घोषणा खातेदारी स्थायी निषेधाज्ञा इन्द्राज दुरूस्ती बाबत रेस्पो. के विरूद्व प्रस्तुत कर रखा था जो न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 16.9.2002 को खारिज कर दिया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे की गयी जो दिनांक 18.8.2003 को खारिज हो जाने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के यहा अपील पेश की गयी जो वर्तमान में रामस्वरूप वगै. बनाम अम्बालाल के नाम से मण्डल में विचाराधीन है। उक्त अपील मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 11.12.2003 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री की पालना मण्डल के अग्रिम आदेश तक स्थगित रखे जाने के आदेश दिया गया है जो वर्तमान में भी प्रभावी है, अर्थात स्थगन आदेश बदस्तूर चल रहा है। जिसका इल्म रेस्पो0 को भी है क्योकि उक्त प्रकरण मे राजस्व मण्डल में रेस्पो.जरिये वकील दिनांक 20.6.2004 को उपस्थित हो चुके है। इस प्रकार रेस्पो. को उक्त स्थगन की जानकारी है किन्तु इसके बावजूद भी सही तथ्य को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री की इजराय प्रस्तुत कर विवादित नामा0 संख्या 232 दिनांक 11.7.2016 को तस्दीक करवाकर बावजूद स्थगन राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से अंकन करवाया गया जो खिलाफ कानून है एवं अधीनस्थ न्यायालय को धोखा देने की श्रेणी मे आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये राजस्व मण्डल में जेरकार प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लिये बगैर ही उक्त नामा0 दर्ज फैसल कर दिया गया है जो गलत है। यह कथन भी किया कि आदेश जैर अपील की अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी परन्तु दिनांक 3.1.2017 को गेंहूँ ओरने की मशीन का लोन लेने के लिए पटवारी हल्का के पास रिपोर्ट करवाने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके खातें की जमीन का नामा0 रेस्पो0 के नाम खुल गया है। जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 4.1.2017 को नामा0 की नकल प्राप्त कर जानकारी होने से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

०

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील नामा0संख्या 232 दिनांक 11.7.2016 विधि सम्मत पारित किया गया है क्योकि उक्त नामा0 राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय व डिक्री की पालना की गयी इजराय के कम मे भरा जाकर दर्ज फैसल किया गया है। यह तर्क भी दिया कि किसी भी न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना मे भरा गया नामा0 विधि विरूद्व नही हो सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

सिंह

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि अपीलान्ट के कथनानुसार अपीलान्ट द्वारा उपजिला कलेक्टर निर्णय दिनांक 16.9.02 व राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर निर्णय दिनांक 18.8.2003 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के यहा अपील पेश की गयी जो वर्तमान रामस्वरूप वगै. बनाम अम्बालाल के नाम से मण्डल में विचाराधीन है। उक्त अपील मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2003 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व डिकी की पालना मण्डल के अग्रिम आदेश तक स्थगित रखे जाने के आदेश दिया गया है जो वर्तमान में भी प्रभावी है तथा जिसकी जानकारी रेस्पो0 को भी है क्योकि उक्त प्रकरण मे राजस्व मण्डल में रेस्पो.जरिये वकील दिनांक 20.6.2004 को उपस्थित हो चुके है। किन्तु स्थगन की जानकारी होने के बावजूद भी सही तथ्य को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय की डिकी की इजराय प्रस्तुत कर विवादित नामा0 संख्या 232 दिनांक 11.7.2016 को तस्दीक करवा गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त नामा0 से संबंधित आराजीयात पर राजस्व मण्डल का स्थगन प्रभावी होने के बावजूद भी दौराने स्थगन राजस्व रिकार्ड मे आदेश जैर अपील से परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार आदेश जैर अपील राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश दिनांक 11.12.2003 के प्रभावी रहते हुए पारित किये जाने के कारण उक्त आदेष जैर अपील विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 232 दिनांक 11.7.2016 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुए एवं राजस्व मण्डल में उक्त आराजी से संबंधित प्रकरण में जारी स्थगन आदेश की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर विधिनुसार पुनः निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0 एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.06 13:07:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: